पत्र संख्या- 3/वन भूमि- 77/2009- व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक......... / 11 / 2015

विषय :— मेसर्स सी0सी0एल0 की रोहिणी खुली खदान परियोजना के लिए 74.81 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–8–60 / 1994–FC दिनांक 30.07.2015 द्वारा विषयक परियोजना में दी गई स्टेज–II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का आपके पत्रांक–3350 दिनांक– 15.10.2015 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त विषयक परियोजना में सन्निहित कुल 73.22 हे0 अधिसूचित वनभूमि निम्नांकित शर्तों के साथ विमुक्त की जाती है :—

(क) स्टेज– II की स्वीकृति की शर्त्त संख्या– 5(a) एवं 5(c) के संदर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी Site Specific Plan तैयार कर एवं वन विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर उसे 6 माह में कार्यान्वयन शुरू करेगी।

(ख) स्टेज–II की स्वीकृति की शर्त्त संख्या– 9 के संबंध में प्रयोक्ता एजेन्सी 6 माह के अंदर शर्त्त के अनुसार स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अनुपालन आरंभ करायेगी।

(ग) स्टेज– II की स्वीकृति की शर्त्त संख्या– 10 के संबंध में स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रतिवेदन 6 माह के अंदर प्रयोक्ता एजेन्सी समर्पित करेगी।

(घ) स्टेज–II की शर्त्त संख्या– 13 के संबंध में समय–सीमा के साथ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिवेदन 3 माह में समर्पित किया जायेगा।

(ङ) प्रश्नगत परियोजना के Lease hold area को नक्शा पर दिखाते हुए प्रयोक्ता अभिकरण 3 (तीन) माह के अंदर Freeze करेंगे तथा इसमें पड़ने वाली शेष वनभूमि के N.P.V का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 11–599 / 2014–FC दिनांक 01.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी को दिनांक 31.03.2016 के पूर्व करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के साथ प्रश्नगत परियोजना में पडने वाली 2.49 हे0 सेफ्टी जोन के अपयोजन की कार्रवाई भारत सरकार के पत्र संख्या के पत्र संख्या–8–25 / 2010–FC दिनांक

12.07.2012 एवं पत्र संख्या– 11–73/2014 FC दिनांक 13.05.2014 के अनुरूप 3 (तीन) माह के अंदर करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा सके।

कृपया विषयक परियोजना में सरकार के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3/वन भूमि– 77/2009– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि– सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003./अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची, बंगला नं0 A-2 श्यामली कॉलोनी, राँची– 834002 को अनुपालन प्रतिवेदन की छायाप्रति सभी अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3/वन भूमि– 77/2009– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची– 834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3/वन भूमि–77/2009– 5998 व0प0, राँची दिनांक– 30.11.15

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव